

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा

"ए" ब्लॉक, वित्त भवन, ज्योति नगर, जनपथ, जयपुर-302005

क्रमांक: एफ1(स)(28)स्था./डीटीए/132

दिनांक : 28/04/2025

कार्यालय आदेश

विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ.1(स)(28)स्था./डीटीए/25-29 दिनांक 03.04.2025 के द्वारा निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर में कार्यरत जमादार/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की दिनांक 01.04.2025 की स्थिति में अन्तरिम वरिष्ठता सूची जारी की जाकर किसी कर्मचारी को उपरोक्त अधिसूचना में उल्लेखित वरिष्ठता अथवा अन्य किसी तथ्य के संबंध में कोई आपत्ति हो तो अपना लिखित अभ्यावेदन, आपत्तियों की पुष्टि में नियमों का संदर्भ अंकित कर संबंधित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपियां संलग्न करते हुए अधिसूचना जारी होने के 15 दिवस में प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई थी, परन्तु उक्त निर्धारित अवधि में आदिनांक तक कोई अभ्यावेदन/आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। अतः अधिसूचना क्रमांक एफ.1(स)(28)स्था./डीटीए/25-29 दिनांक 03.04.2025 के द्वारा जारी अन्तरिम वरिष्ठता सूची को ही "अन्तिम वरिष्ठता सूची" माना जावे।

(बृजेश किशोर शर्मा)

निदेशक एवं पदेन

संयुक्त शासन सचिव

दिनांक : 28/04/2025

क्रमांक: एफ1(स)(28)स्था./डीटीए/132

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. कोषाधिकारी (शहर), जोधपुर।
2. उपनिदेशक (आई.टी) को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को डीटीए की साइट पर अपलोड करावे।
3. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव महोदय।
4. श्री/श्रीमती पद.....
5. निजी/रक्षित पत्रावली।

(नरेन्द्र सिंह)

संयुक्त निदेशक (प्रशासन)